**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 1609**
**सोमवार, 3 अगस्त, 2026 (12 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर**

## हेलीकॉप्टर पर्यटन और पर्यावरणीय प्रभाव

**1609. श्री विवेक के. तन्खा:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों में लाइसेंस प्राप्त हेलीकॉप्टर पर्यटन संचालकों की संख्या कितनी है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके द्वारा पर्यटन हेतु संचालित फेरों (सॉर्टीज) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हेलीकॉप्टरों से उत्पन्न ध्वनि, कंपन तथा उत्सर्जन का वन्यजीवों एवं अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर पर्यटन के लिए ऊँचाई संबंधी प्रतिबंध, नो-फ्लाई जोन तथा मौसमी प्रतिबंध निर्धारित किए गए है और उन्हें लागू करने हेतु अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (ग) देश में हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाओं का संचालन माँग-संचालित होता है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुबंधित प्रचालकों द्वारा उनके अनुबंधों के नियम एवं शर्तों और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अपेक्षित अनुमोदनों सहित लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है।

डीजीसीए हेलीकॉप्टर की उड़नयोग्यता और उड़ान परिचालनों को विनियमित करके हेलीकॉप्टर परिचालनों की संरक्षा सुनिश्चित करता है। डीजीसीए विनियम केवल विमानन संरक्षा का निराकरण करते हैं और इकोसेंसिटिव पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर परिचालनों पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाते। तथापि, विनियम में टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान की अवधि को छोड़कर, भूमि तल के ऊपर 500 फीट से नीचे की उड़ान निषिद्ध की गई है।

*****